प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 17.12.25

“थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत रंगदारी से संबन्धित अभियोग का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.12.2025 को कैफे संचालक वादी मुकदमा श्री सुनील पुत्र स्व0 श्री मेवाराम, निवासी ग्राम बल्लिया, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर लिखित सूचना देकर अवगत कराया कि अभियुक्तों द्वारा वादी के कैफे का शीशा तोड़ते हुए वादी के साथ लात-घूसों से मारपीट की गई, वादी से ₹50,000/- की रंगदारी ली गई तथा अतिरिक्त ₹1,00,000/- की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर जान से मारने एवं कैफे बंद कराने की धमकी दी गई। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर 15.12.2025 को थाना रोजा पर मु0अ0सं0 645/25, धारा 115(2), 308(5), 324(2), 351(3) बीएनएस-2023 के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1.शहाना बेग पत्नी नामालूम, पता नामालूम तथा 2. अन्य अज्ञात साथी (नाम-पता नामालूम) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई तथा अथक प्रयासों के फलस्वरूप 48 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्ता शहाना बेग पुत्री इकबाल बेग, निवासी मोहल्ला तारीन बहादुरगंज, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र लगभग 42 वर्ष को दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 16:15 बजे, रोजा बाईपास के निकट पैतापुर को जाने वाले मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता की गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता:-

शहाना बेग पुत्री इकबाल बेग निवासी मोहल्ला तारीन बहादुरगंज थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय:-

दि0 17.12.2025 समय 16.15 बजे ,थाना रोजा क्षेत्रांतर्गत रोजा बाईपास के निकट पैतापुर को जाने वाले मोड के पास

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 645/25 धारा 115(2),308(5),324(2),351(3) बीएनएस-2023 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 645/25 धारा 115(2),308(5),324(2),351(3) बीएनएस-2023 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्ता द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहब मै सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हुँ। दिनांक 13.12.2025 को मुझे मेरे साथियों ने बताया था कि पैतापुर रोड पर स्थित कैफे शुरु हुआ है जिसमे कभी कभी लडका और लडकी भी आते हैं तो हमने सोचा कि कैफे वाले पर दबाब बनाकर पैसे वसूल किये जाये इसीलिए उस दिन मै अपने साथियों के साथ कैफे में गयी थी कैफे वाला विरोध करने लगा तब वहाँ मारपीट हो गयी थी उस दिन मैनें अपनें साथियों के साथ कैफे संचालक से 50000/- रुपयें लिए थे। जिसमें से मेरे हिस्सें में 10000/- रुपयें आए थे जो मैनें खर्च कर दिए है। कैफें संचालक शेष रुपये देनें के लिए वायदा कर रहा था , रुपये न देने पडे इसीलिए उनसे मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया।

गिरफ्तार करने वाली थाना रोजा पुलिस टीम :-

1.प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2.उ0नि0 सुश्री पूनम दहिया,थाना रोजा शाहजहांपुर।
3.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना रोजा,शाहजहांपुर।
4.उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला थाना रोजा,शाहजहांपुर।
5.का0 1169 कपिल कुमार थाना रोजा,शाहजहांपुर।
6.का0 845 अंकित कुमार थाना रोजा,शाहजहांपुर।
7.म0हे0का0 683 पूजा रानी थाना रोजा,शाहजहांपुर।
8.म0हे0का0 685 संजीत चौधरी थाना रोजा,शाहजहांपुर।